



# डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0 / ...63... / 2023 दिनांक:-15.07.2023

## कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1670/सत्तर-2-2023-16(11)/2017 टी0सी0 दिनांक 14 जुलाई, 2023 द्वारा सत्र 2023-24 के लिये ऑनलाइन सम्बद्धता के प्रकरणों के निस्तारण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। निरीक्षण मण्डल गठन हेतु शासन द्वारा पोर्टल (<http://henoc.upsdc.gov.in>) खोल दिया गया है, जिसपर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, आवेदन की अन्तिम तिथि 18 जुलाई, 2023 है।

अतः उक्त से अवगत होते हुये नवीन महाविद्यालय स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय/पाठ्यक्रमों एवं स्थायी मान्यता हेतु संलग्न निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

नोट:- उक्त से सम्बन्धित कोई भी प्रक्रिया ऑफलाइन मान्य नहीं होगी।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

  
कुलसचिव  


प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सहायक कुलसचिव कुलपति-सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।

  
कुलसचिव

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-2**

लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2023

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-646/सत्तर-2-2022-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 14.07.2022, शासनादेश संख्या-512/सत्तर-2-2023-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 28.02.2023 एवं शासनादेश संख्या-745/सत्तर-2-2023-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 30.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये ऑनलाइन सम्बद्धता के प्रकरणों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	संशोधित समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	-
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	-
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	-
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 23 जुलाई, 2023 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 जुलाई, तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 23 जुलाई, तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।

5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 28 जुलाई, 2023 तक।
6	सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना।	दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक।
7	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 05 अगस्त, 2023 तक।
8	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 अगस्त, 2023 तक।
9	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 18 अगस्त, 2023 तक।

3- उक्त समय-सारिणी का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव का होगा।

भवदीय,

(एम0पी0 अग्रवाल)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-16700Y सत्तर-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस0पी0 मिश्र)  
उप सचिव।